बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 14/10/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–154/2026 2945 /यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7630/2026 खुर्शीद अनवर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–14.05.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"....3. Learned counsel for the petitioners submits that the issues have already been settled by the Hon'ble Apex Court in Balwant Singh Narwal & Ors. v. State of Haryana & Ors., (2008) 7 SCC 728, and that the petitioners' case is also covered by the judgment of this Court in CWJC No. 15663 of 2022 (Santosh Kumar & Ors. vs. State of Bihar & Ors.). The authorities may therefore be directed to adjudicate the claims of the petitioners, for which representations have already been filed.

4. On the other hand, learned counsel for the State does not dispute the factual position and submits that the petitioners may be directed to file individual representations, providing details of their service profile along with supportive materials for adjudication of their claims.

5. Considering the above, the petitioners are directedto file their individual representations, along with all supportivedocuments and the judgment relied upon by them, within fourweeks from today. On receipt thereof, the authorities are obliged to adjudicate the claims of the petitioners by passing a reasonedand speaking order within a further period of eight weeks. The benefits to which the petitioners are entitled shall also be extended within the same period

6. Accordingly, the instant writ application stands disposed of....."

3. अंकनीय है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7630/2026 खुर्शीद अनवर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.05.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वादीगण द्वारा अभ्यावेदन समर्पित की गई है।

4. वादी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन तथा रिट में उपलब्ध तथ्यों/अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण की नियुक्ति, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–210/2010 (34540 कोटि के सहायक शिक्षक) के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक–1297/316 दिनांक–23.05.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक–07/विविध–73/2018 अंश 'क'–1136 दिनांक–30.08.2019 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में उनके आवंटित जिला में हुई।

5. अंकनीय है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–210/2010 अंतर्गत 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के रूप में वर्ष 2012 में 32127 अभ्यर्थियों के नियुक्ति की गई तथा शेष 2413 पदों में से पुनः 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

6. उक्त के उपरांत सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–17899/2012 एवं सिविल रिव्यू संख्या–16/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आयोग के ज्ञापांक–958/आ० दिनांक–07.05.2019 द्वारा कुल रिक्त 2213 पदों के विरूद्ध 1960 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया तथा 244 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनुशंसा स्थगित रखी गई थी। प्रस्तुत वाद के वादीगण भी उक्त 244 अभ्यर्थियों में से है, जिनकी अनुशंसा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ज्ञापांक–1297 दिनांक–21.05.2019 द्वारा की गई। अंकनीय है कि उक्त अनुशंसा वरीय मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के योगदान नहीं किये जाने के उपरांत शेष रिक्त रह गये पदों के विरूद्ध की गई थी।

विदित हो कि प्रस्तुत मामले के समरूप एक अन्य वाद CWJC No.–15663/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–08.12.2025 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"...***Having regard to the same the present Writ Petition is allowed. Consequently the Respondent-Authority is directed to grant the same benefits of seniority, annual increment, ACP etc. as has been extended to the similarly situated employees who were appointed earlier pursuant to the said advertisement.***

4. The authority shall endeavour to calculate and pay the benefits as expeditiously as possible, preferably within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order...."

उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No.–429/2026 दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में लम्बित है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को LPA No.–429/2026 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित मानते हुए मामले को निस्तारित किया जाता हैं।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–01–154/2026 2945 / पटना, दिनांक 14/10/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–154/2026 2945 / पटना, दिनांक 14/10/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।